न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री संदीप कुमार (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	01/2020
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2020/00001
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	10.01.2020
निर्णय दिनांक	23.06.2022

उनवान

1	तेजू पुत्र हीरा गूर्जर नि.सोपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	रूक्मणी पत्नि हीरा गूर्जर नि.सोपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	श्रवण पुत्र हीरा गूर्जर नि.सोपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	हिन्दू पुत्र हीरा गूर्जर नि.सोपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1	मांगू पि.भोजा गूर्जर नि.सोपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थीगण	श्री मुनीर गनी शेख
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	श्री इश्तियाक अहमद शेख

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त रेकार्डेड खातेदारी भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। प्रार्थीगण की कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
सोपुरा	2076 -2079	85	163	0.29	164	0.80
			29	0.1951	56	0.19
			57	0.53		

(2) प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है –

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	स्वामित्व	भौगोलिक स्थिति
सोपुरा	50	0.4128	खातेदारी भूमि	प्रार्थीगण द्वारा अपनी शामलाती खातेदारी [illegible] रकबा 0.0193 गै.मु.चाह में से होकर अप्रार्थी की खातेदारी आ.नं.50 की उत्तरी मेड़ के [illegible] 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.07.25 13:21:53 IST
Reason: SelfAttested

(3) प्रार्थीगण की आराजियात में आने-जाने का उक्त एक मात्र लघु[illegible] व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द [illegible]

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। भू.अ.निरीक्षक आसीन्द की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.08.2020 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है।

(5) वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण का कथन था कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर भूमि की क्षतिपूर्ती के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। भू.अभिलेख निरीक्षक आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें। वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस रास्ते हेतु आवेदित भूमि के बदले में प्रार्थी द्वारा प्रतिकर में खातेदारी भूमि दिये जाने पर रास्ते हेतु सहमति व्यक्त की है।

(6) भू.अ.निरीक्षक आसीन्द ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता या उपाय उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है।

(7) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक आसीन्द / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता भू.अ.निरीक्षक आसीन्द की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होने तथा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से एंव प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि के लिये की गयी रास्ते की मांग इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने के लिये भू.अ.निरीक्षक आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेतों पर आ-जा सके तथा कृषि कार्य कर सके। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि –

क्रियात्मक – आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि के बराबर प्रार्थिया की खातेदारी भूमि को क्षतिपूर्ति हेतु अप्रार्थी के नाम दर्ज हेतु सहमत होने से भू.अ.निरीक्षक आसीन्द द्वारा प्रस्तुत संलग्न तरमीम नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की आराजियात पर आवागमन हेतु रास्ते तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को अप्रार्थी के नाम दर्ज करने हेतु निम्नानुसार आदेश दिये जाते है -

क्र.सं.	रास्ते में दर्ज की जाने वाली भूमि का विवरण					अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज की जाने वाली भूमि का विवरण		
	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	प्रस्तावित रास्ते की भौगोलिक स्थिति	आ.नं.	रकबा	भौगोलिक स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सोपुरा	50	0.4128	0.0224	आ.नं.50 की उत्तरी मेड़ के सहारे –सहारे नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दर्ज रेकार्ड किया जावे।	56	0.0224	आ.नं.56 की पश्चिमी मेड़ पर रास्ते की भूमि के बदले 0.0224 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या एक के नाम खातेदारी हक से दर्ज की जावें।

उक्त प्रकार से दर्ज किये गये गै.मु. रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 23.06.2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.07.25 13:21:53 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2022/ 139

दिनांक 13.7.2022

प्रतिलिपीः- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर {S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा